130

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–807–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–03–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 600/निगरानी/05–06

.....

श्रीमती उर्मिला सिंह पत्नी श्री विषेशर सिंह
निवासी–रेलवे क्रॉसिंग के पास मुख्यारगंज सतना
तहसील रघुराज नगर, जिला–सतना(म0प्र0)

–––––आवेदिका

विरूद्ध

1– गोपाल दत्त मिश्रा पुत्र श्री रामदत्त मिश्रा
निवासी–राजेन्द्र नगर गली नं0 12 सतना
तहसील रघुराज नगर, जिला–सतना(म0प्र0)

2– दिलशेर खान पुत्र श्री गुलशेर खान
निवासी–नजीशबाद सतना, तहसील रघुराज नगर,
जिला–सतना(म0प्र0)

3– उमाकान्त शुक्ला पुत्र श्री राजकिशोर शुक्ला
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इटारसी शिशु रोग विशेषज्ञ
निवासी–मकान नं0 17 पंडित दीन दशल नगर
गृह मण्डल कालोनी इटारसी, जिला–होशंगाबाद(म0प्र0)

4– किशनलाल पंजाबी पुत्र श्री सरदार तीरथ सिंह
निवासी–सिविल लाइन सतना, तहसील रघुराज नगर,
जिला–सतना(म0प्र0)

5– श्रीमती अजरा सिद्धकी पत्नी डॉ0 ए0ए0 सिद्धकी
निवासी–सतना जिला चिकित्सालय परिसर सतना
तहसील रघुराज नगर, जिला–सतना(म0प्र0)

6– श्रीमती शैल पुत्री स्व0 श्री रमाकान्त परौहा
निवासी–नीमखेड़ा मंडाघाट स्टेशन जबलपुर
तहसील व जिला–जबलपुर

7– सुधाकर प्रसाद चतुर्वेदी पुत्र श्री दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी
निवासी–मुख्यारगंज सतना, तहसील रघुराज नगर,
जिला–सतना(म0प्र0)

8– मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर सतना

9– उप–संचालक नगर तथा ग्राम निलेस सतना
जिला–सतना(म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22-01-2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–03–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 18.01.1994 के पालन में कलेक्टर सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 50/अ–74/2005–06 में उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आदेश दिनांक 18.04.2006 में प्रश्नाधीन भूमि नजूल भूमि माना तथा तथा 138/1 पर से दर्ज लोगों का अतिक्रामण माना । कलेक्टर सतना के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 600/निगरानी/05–06 पर पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 02–03–2007 से निगरानी आधारहीन मानते हुये निरस्त की तथा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सतना का आदेश स्थिर रखा है। अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तत की है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये ।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 18.01.1994 के द्वारा शासन के हित को ध्यान में रखते हुये आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया था, जिसके पालन में पुनः कार्यवाही करते हुये सुनवाई की गई । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आराजी नं0 138 को चार खण्डो में विभाजित किया गया है, जिसमें आराजी नं 138/2 रकबा 1.75 पर मध्यप्रदेश शासन नजूल दर्ज है। अनावेदिका क्र0 5 श्रीमती अजरा सिद्धकी पत्नी डॉ0 ए0ए0 सिद्धकी ने उक्त प्रश्नाधीन भूमि नीलामी के दौरान गिरधारी लाल से क्रय की थी किन्तु वह यह सिद्ध करने में असफल रही की खसरा वर्ष 66–67 संपादित किया गया तो अपने भू स्वामित्व में दर्ज क्यों नहीं कराया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खसरा नं0 138/1 में मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज है, जिसमें आवेदिका का कोई स्वत्व प्रकट नहीं होता। जब वादग्रस्त भूमि मध्यप्रदेश शासन नजूल की भूमि है तो उसका व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता है। इसी कारण कलेक्टर सतना ने आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 18.01.94 के पालन में विधिवत कार्यवाही की है, जिसे अपर आयुक्त रीवा ने यथावत रखा है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,